न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
07 / 2020	2020 / 00027	19.02.2020	26.03.2021

उनवान

श्रीमती गीता पत्नी श्री कैलाशचन्द डारीवाल उम्र 30 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम कोठी वाया पुष्कर जिला – अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला – अजमेर।

उपस्थित–

पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 223 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 123, 123 / 2682, 130, 132 में प्रार्थीया का हक – हिस्सा 17 / 140 के बजाय 3 / 140 का त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया, जिसकी दुरूस्ती किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीया अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि व साबिक खसरा नंबर 223 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा में से दिनांक 02.03.2006 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 17 / 140 हिस्सा क्रय कर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है ... नामान्तरण संख्या 602 दिनांक 01.05.2006 की प्रार्थीया के नाम अंकित हो गया तथा साबिक खसरा नम्बर 223 के हाल नये खसरा नंबर 123, 123 / 2682, 130, 132 बने जिसके नवीन खसरा नंबर पर प्रार्थीया का गलत रूप से जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 में हिस्सा 3 / 140 गलत अंकन कर दिया जबकि क्रय

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:31 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा सही 17/140 अंकन होना चाहिए था। किशना पुत्र धर्मा का हिस्सा 29/140 के बजाय 3/28 हिस्सा होना चाहिए था।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

वर्किंग जमाबंदी संवत् 2040–41 में धर्मा पुत्र भौमा के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामा0 सं0 28 दिनांक 06.01.1989 विरासत से धर्मा पुत्र भौमा के बजाय तोफी पत्नी धर्मा किशना बन्ना शैतान पप्पु पुत्र धर्मा के नाम अंकन स्वीकार हुआ। नामा0 सं0 297 दिनांक 03.12.2001 विक्रय पत्र से तोफी धर्मा किशना बन्ना शैतान पप्पु पुत्र धर्मा के सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से पर बन्नी पत्नी रामपाल हिस्सा 1/2 का अंकन स्वीकार हुआ। शेष बदस्तूर। शेष तोफी पत्नी धर्मा 1/10 बन्ना पुत्र धर्मा 1/10 शैतान पुत्र धर्मा 1/10 पप्पु पुत्र धर्मा 1/10 तथा बन्नी पत्नी रामपाल 1/2 हिस्से पर। नामा0 सं0 298 दिनांक 03.12.2001 विक्रय पत्र से तोफी पत्नी धर्मा का 1/40 हिस्सा शैतान पुत्र धर्मा का 1/10 हिस्से के स्थान पर बन्नी पत्नी रामपाल हिस्सा 5/8 का अंकन स्वीकार हुआ शेष बदस्तूर। नामा0 सं0 298 के पश्चात् तोफी पत्नी धर्मा 3/40 किशना पुत्र धर्मा 1/10 बन्ना पुत्र धर्मा 1/10 पप्पु पुत्र धर्मा 1/10 पप्पू पुत्र धर्मा 1/10 बन्नी पत्नी रामपाल हिस्सा 5/8 रहा। नामा0 सं0 423 दिनांक 13.06.2003 विक्रय पत्र से तोफी पत्नी धर्मा 1/40 हिस्सा पप्पु पुत्र धर्मा हिस्सा 1/10 हिस्से के स्थान पर बन्नी पत्नी रामपाल का अंकन स्वीकार हुआ। नामा0 सं0 423 से नवीन इन्द्राज बन्नी पत्नी रामपाल हिस्सा 3/4 तोफी पत्नी धर्मा हिस्सा 1/20 किशना पुत्र धर्मा 1/10 बन्ना पुत्र धर्मा 1/10 हिस्सा रहा। नामा0 सं0 601 दिनांक 20.04.2006 विरासत से तोफी पत्नी धर्मा 1/20 के स्थान पर किशना बन्ना शैतान पप्पू पुत्र धर्मा केली गेंदी गंगा पुत्रियां धर्मा का अंकन स्वीकार हुआ। नामा0 सं0 601 के पश्चात् नवीन इन्द्राज बन्नी पत्नी रामपाल 3/4 हिस्सा किशना पुत्र धर्मा 3/28 बन्ना पुत्र धर्मा 3/28 शैतान पुत्र धर्मा 1/140 केली पुत्री धर्मा 1/140 गेंदी पुत्री धर्मा 1/140 गंगा पुत्री धर्मा 1/140 हिस्सा रहा। नामा0 सं0 602 विक्रय पत्र से बन्ना पुत्र धर्मा 3/28 शैतान पुत्र धर्मा 1/140 गेंदी पुत्री धर्मा 1/140 के स्थान पर गीता पत्नी कैलाश हिस्सा 17/140 का अंकन स्वीकार हुआ। नामा0 सं0 602 के पश्चात् नवीन इन्द्राज से बन्नी पत्नी रामपाल 3/4 किशना पुत्र धर्मा हिस्सा 3/28 पप्पू पुत्र धर्मा 1/140 केली पुत्री धर्मा 1/140 गंगा पुत्री धर्मा 1/140 गीता पत्नी कैलाश हिस्सा 17/140 रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:31 IST
Reason: SelfAttested

26/03/2021
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 298 के खसरा नम्बरान 123 रकबा 0.7000, 123/2682 रकबा 0.0100, 130 रकबा 0.4800, 132 रकबा 0.2800 में खातेदार गीतादेवी पत्नी कैलाशचन्द का हिस्सा 3/140 व किशना पुत्र धर्मा का हिस्सा 29/140 दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

—:: क्रियात्मक **आदेश** ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 298 के खसरा नम्बरान 123 रकबा 0.7000, 123/2682 रकबा 0.0100, 130 रकबा 0.4800, 132 रकबा 0.2800 में खातेदार गीतादेवी पत्नी कैलाशचन्द का हिस्सा 3/140 व किशना पुत्र धर्मा का हिस्सा 29/140 अंकन किया गया है, के स्थान पर नवीन अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 298 के संयुक्त खातेदार गीतादेवी पत्नी कैलाशचन्द का हिस्सा 17/140 व किशना पुत्र धर्मा का हिस्सा 3/28 का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Rathore
26/03/2021

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पुष्कर
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:31 IST
Reason: SelfAttested